

भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 265
दिनांक 24 जून, 2019

रसोई गैस पाइपलाइन

265. श्री देवजी एम. पटेल:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे:
श्री रोडमल नागर:
श्री पी.पी. चौधरी:

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) क्या देश में सभी तीन सरकारी क्षेत्र की तेल वपणन कंपनियों द्वारा रसोई गैस पाइपलाइन बिछाई गई है अथवा बिछाई जा रही है;
- (ख) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र के लातूर जिले सहित तत्संबंधी राज्य-वार और महानगर-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या महानगरों में रसोई गैस पाइपलाइन बिछाने के कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्रवाई कए जाने का वचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का क्या मत है;
- (घ) क्या सरकार का मध्य प्रदेश और राजस्थान के जालौर और सरोही जिलों सहित सभी जिलों और महानगरों में रसोई गैस पाइपलाइन बिछाने का वचार है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कये जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या मंशा है?

उत्तर

पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) और (ख): जी, हां। निम्न ल खत पाइपलाइनों को शामिल करते हुए देश में एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क की कुल लंबाई 8,296 क०मी० है।

- (i) पानीपत-जालंधर एलपीजी पाइपलाइन (लंबाई: 280 क०मी०)
- (ii) पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन (लंबाई: 673 क०मी०); (इस पाइपलाइन को पटना और मुजफ्फरपुर तक बढ़ाया गया है जिसके परिणामस्वरूप कुल लंबाई 918 क०मी० है)
- (iii) एन्नौर-त्रिची-मदुरैई एलपीजी पाइपलाइन (लंबाई: 615 क०मी०)
- (iv) कांडला-गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन (लंबाई: 2757 क०मी०)

- (v) जामनगर-लोनी-एलपीजी पाइपलाइन (लंबाई:1414 क0मी0)
- (vi) वजाग-सकंदराबाद- एलपीजी पाइपलाइन (लंबाई:621 क0मी0)
- (vii) मंगलौर-हासन-मैसूर-यदियूरो एलपीजी पाइपलाइन (लंबाई:356 क0मी0)
- (viii) उरण-चाकन/शकरापुर एलपीजी पाइपलाइन (लंबाई:168 क0मी0)
- (ix) हासन-चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन (लंबाई:680 क0मी0)
- (x) मुंबई-उरण एलपीजी पाइपलाइन (लंबाई:29 क0मी0)
- (xi) कोच्चि-कोयंबटूर-सेलम एलपीजी पाइपलाइन (लंबाई:458 क0मी0)

(ग) से (ड.) एलपीजी पाइपलाइनें रिफाइनरियों से एलपीजी भरण संयंत्रों तक बिछाई जाती है जो आम तौर पर नगर की सीमाओं से बाहर स्थित होती है। वर्ष 2007 में पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस वनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) एलपीजी पाइपलाइनों को बिछाने हेतु प्राधिकार प्रदान करने वाला प्राधिकरण है। जो कंपनियां कसी पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण करने, प्रचालित करने अथवा वस्तार करने का प्रस्ताव करती हैं वे इस अधिनियम के तहत प्राधिकार प्रदान करने के लिए बोर्ड में आवेदन करती हैं।
